

कृषि लागत और मूल्य आयोग

2011-12 मौसम के लिए गन्ने की मूल्य नीति रिपोर्ट हेतु प्रश्नावली

1. (क)(i) कृपया पिछले पाँच वर्षों के दौरान गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र और चालू वर्ष के लिए अनुमान बताएँ।

क्रम सं०	वर्ष	खेती के अंतर्गत क्षेत्र (लाख है० में)	गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र (लाख है० में)	कुल क्षेत्र में गन्ना क्षेत्र का प्रतिशत	गन्ना क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/गिरावट
1	2	3	4	5	6

(ii) गन्ने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में देखी गई वृद्धि/गिरावट के रुख पर आपकी क्या टिप्पणी है ?

(iii) क्या गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की कोई आवश्यकता है ? यदि ऐसा है, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

(ख).(i) कृपया पिछले पाँच वर्षों में गन्ने का उत्पादन और चालू वर्ष में प्रत्याशित उत्पादन बताएँ।

क्रम सं०	वर्ष	गन्ना उत्पादन (लाख टन में)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/या गिरावट
1	2	3	4

(ii) उत्पादन प्रवृत्ति पर आपकी क्या टिप्पणी है ? यदि किसी खास वर्ष में गन्ने के उत्पादन में कोई असामान्य वृद्धि/या गिरावट हुई है, तो कृपया इसके कारण बताएँ।

(ग)(i) कृपया पिछले पाँच वर्षों में गन्ने की उत्पादकता के ब्यौरे दें और चालू वर्ष में अनुमानित उत्पादकता बताएँ।

क्रम सं०	वर्ष	उत्पादकता (टन/है० में)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/या गिरावट
1	2	3	4

(ii) यदि उत्पादकता में गिरावट/स्थिरता की प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो कृपया इसके कारण बताएँ। कृपया उत्पादकता बढ़ाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का भी ब्यौरा दें।

(iii) कृपया गन्ना उत्पादन की संधारणीयता और इसके क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों पर टिप्पणी करें।

(घ) कृपया वैकल्पिक स्रोतों से गन्ने के क्षेत्र, उत्पादन और उपज के अनुमान भी प्रस्तुत करें जैसे गन्ना आयुक्त के अनुमान जो कि सामान्यतः कृषि/सांख्यिकी विभाग के अनुमानों से भिन्न रहते हैं। क्या अनुमानों में अंतर के समाधान का कोई रास्ता है ?

(ड.)(i) कृपया पिछले दो वर्षों एवं चालू वर्ष के लिए शीघ्र, मध्यम एवं देरी से परिपक्व होने वाली किस्मों के अंतर्गत गन्ने का लगभग क्षेत्र बताएँ।

क्रम सं०	वर्ष	क्षेत्र (लाख है० में)			प्रतिशतता		
		पूर्व	मध्य	देरी से	पूर्व	मध्य	देरी से
1	2	3	4	5	6	7	8

(ii) क्या परिपक्वता के अनुसार किस्मों का मिश्रण पेराई मौसम की आर्थिक दीर्घता के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो किस्मों के सर्वोत्तम मिश्रण के लिए उठाए गए कदम।

(च)(i) कृपया 2006-07 से 2010-11 तक मूढ़ी और रोपित फसल के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा और 2010-11 मौसम के लिए लक्ष्य बताएँ।

क्रम सं०	वर्ष	गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र (लाख है० में)	मूढ़ी फसल के अंतर्गत क्षेत्र (लाख है० में)	रोपित फसल के अंतर्गत क्षेत्र (लाख है० में)	मूढ़ी फसल के अंतर्गत क्षेत्र का प्रतिशत (लाख है० में)	रोपित फसल के अंतर्गत क्षेत्र का प्रतिशत (लाख है० में)
1	2	3	4	5	6	7

(ii) कृपया पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के लिए मूढ़ी और रोपित फसल के अंतर्गत प्रति हैक्टेयर औसत उपज बताएँ।

क्रम सं०	वर्ष	मूढ़ी फसल की उपज (टन / है० में)	रोपित फसल की उपज (टन / है० में)
1	2	3	4

(iii) मूढी फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

2. क्या आपके राज्य में सूखा/बाढ़ की स्थिति रही है जिसका उत्पादन और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो ? यदि ऐसा है, तो कृपया गन्ना उत्पादन को इसके कारण हुए नुकसान की मात्रा का ब्यौरा और सूखा/बाढ़ की स्थिति के कारण हुए नुकसान को कम करने के लिए उठाए गए कदम।

3 (क)(i) कृपया गन्ना उत्पादन/उत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कीटों और बीमारियों की घटना का विस्तार से वर्णन करें और इस प्रकार के कीटों और बीमारियों से लड़ने के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उठाए गए कदम बताएँ।

(ii) क्या किसी नाशक कीटों एवं बीमारियों ने उपलब्ध कीटनाशकों/खरपतवार नाशकों के प्रति प्रतिरोध शक्ति विकसित की है ? यदि ऐसा है, तो उसका ब्यौरा दें।

(iii) कृपया गन्ना उत्पादकों के लिए असली कीटनाशकों की आपूर्ति करने के लिए किए गए प्रबन्ध और नकली कीटनाशकों की बिक्री/सप्लाई रोकने के लिए उठाए गए कदम बताएँ।

(iv) क्या गन्ने के रस/चीनी में कीटनाशी अवशेष का पता लगाने के लिए कोई विश्लेषण कार्य शुरु किया गया/करने का प्रस्ताव है ?

4 (क). कृषि के वृहद प्रबंधन के अंतर्गत एक उप योजना "गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास" की कार्यप्रणाली का विवेचित मूल्यांकन दें। योजना में सुधार लाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं ?

(ख) गन्ने के विकास के लिए राज्य सरकार/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अन्य अनुसंधान संस्थानों/चीनी उद्योग द्वारा कार्यान्वित/प्रस्तावित योजनाओं का उल्लेख करें।

5 (क)(i) कृपया अपने राज्य में शर्करा अंश, उपज, बुवाई और कटाई समय, वसूली प्रतिशतता और परिपक्वता की अवधि के ब्यौरों सहित विद्यमान और नई विकसित अधिक उपज देने वाली/अधिक शर्करा अंश वाली किस्मों की सूची दें तथा उनके लिए बीमारियों से खतरा बताएँ।

(ii) कृपया आवश्यकता की तुलना में प्रमाणित बीजों की स्रोत-वार वर्तमान उपलब्धता बताएँ। कृपया यह भी बताएं की आवश्यकता का परिकलन किस प्रकार किया गया है।

(ख) क्या आप महसूस करते हैं कि टिशू कल्चर तकनीक के माध्यम से गन्ने का रोपण एक बेहतर विकल्प है ? क्या यह तकनीक लागत प्रभावी है ? यदि ऐसा है तो टिशू कल्चर तकनीक के माध्यम से गन्ना रोपण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम बताएँ।

6. गन्ना रोपस्थलों के मामले में आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के उपयोग पर आपके क्या विचार हैं ?

7. (क) कृपया संविदा खेती के संदर्भ में (i) गन्ने के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर इसके प्रभाव और (ii) क्या मिलों को गन्ने की वचनबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों को मूल्यों के तत्काल भुगतान, पर विचार बताएं।

(ख) क्या गन्ने में संविदा खेती आपके राज्य में प्रचलित है ? यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों के दौरान कितने क्षेत्र में हुई ?

8.(i) कृपया अपने राज्य में पिछले दस वर्षों के लिए (चीनी क्षेत्र-वार) गुड़ और खांडसारी का उत्पादन और चालू मौसम के दौरान अब तक का अनुमानित उत्पादन बताएँ।

(ii) यदि पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किसी एक या उससे अधिक वर्षों में चीनी, गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में अधिक वृद्धि/कमी आई है, तो कृपया इसके कारण बताएँ।

(iii) आपके राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान चीनी की मांग और आपूर्ति स्थिति और 2011-12 मौसम के लिए अनुमान। आपूर्ति बाधाएं या अधिक आपूर्ति एवं मांग का भी उल्लेख करें।

9. (क)(i) कृपया पिछले पाँच मौसमों और चालू मौसम में अभी तक राज्य हेतु क्षेत्र वार और कुल पेराई किया गया गन्ना, उत्पादित चीनी और क्षेत्र वार वसूली दर बताएँ।

(ii) क्या मिलों के शीघ्र बन्द होने के कारण गन्ने की कोई मात्रा पेराई किए बिना रह गई थी ? यदि हाँ, तो इस प्रकार बचे गन्ने का निपटान किस प्रकार किया गया।

(iii) यदि सहकारी, निजी या राज्य क्षेत्र की चीनी मिलों में चीनी वसूली में कमी/विसंगति आई है तो कृपया इसके कारण बताएँ।

(ख) कृपया चीनी मिलों, गुड़ और खांडसारी इकाईयों की वसूली प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए उठाए गए/ प्रस्तावित कदम बताएँ।

(ग) भारत सरकार ने कच्ची चीनी का आयात अनुमत किया है जिसे संसाधन के लिए गन्ना रस में मिलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में वसूली दर कैसे निर्धारित की जा रही है।

10 क.(i) कृपया राज्य अनुशंसित मूल्य, यदि कोई हो, और पिछले दो मौसम के दौरान चीनी मिलों द्वारा गन्ने के लिए अदा किए गए अंतिम मूल्य और 2011-12 के लिए अनुमान बताएँ।

रु/क्विंटल में					
क्रम सं०	मौसम	औसत सा. न्यू. मू./एफ आर पी	औसत एस ए पी	चीनी मिलों द्वारा प्रदत्त	औसत मूल्य
1	2	3	4	5	6

(ii) इन मूल्यों की खांडसारी और गुड़ विनिर्माताओं द्वारा प्रदत्त मूल्यों के साथ कैसे तुलना की जाती है ?

(iii) क्या गन्ना मूल्यों का, सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम भुगतान किए जाने का कोई उदाहरण है? यदि ऐसा है, तो चूक करने वाली चीनी इकाइयों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारक उपायों का ब्यौरा दें।

(ख) (i) आपके राज्य में गन्ना/चीनी अर्थव्यवस्था को नियमित करने के लिए लागू विभिन्न राज्य अधिनियम क्या है ?

(ii) कृपया पिछले पाँच मौसमों तथा चालू मौसम की 31 मई को गन्ना मूल्य बकाया का ब्यौरा क्षेत्र वार प्रस्तुत करें।

क्रम सं०	मौसम	देय राशि	चुकाई गई राशि	प्रतिशतता	पूर्णतः चुकाये गये बकाया की तिथि	बकाया के कारण
1	2	3	4	5	6	7

(iii) गन्ना मूल्य बकाया को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

(iv) गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने संबंध में अपने सुझाव दें।

(ग).**(i)** सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया जा रहा है कि शीरें, खोई जैसे उपउत्पादों से वसूलियां और प्रेश-मड भी गन्ना मूल्य के निर्धारण हेतु ध्यान में रखी जाएं। इस मामले में आपके क्या विचार हैं ? इस उप-उत्पादों से प्राप्त हुई मात्रा और कीमत विगत तीन वर्षों के दौरान क्या रही है ? गन्ना मूल्य के निर्धारण में इन वसूलियों को कैसे ध्यान में रखा जा सकता है ?

(ii) एक दृष्टिकोण यह है कि सांविधिक न्यूनतम मूल्य/एफ आर पी एक समान हों अर्थात् सभी गन्ना उत्पादकों को, संबंधित चीनी मिल के वसूली स्तर का विचार किए बिना एकरूप मूल्य प्राप्त हो। एक विपरीत दृष्टिकोण यह है कि एकमात्र एकरूप मूल्य, गन्ना उत्पादकों को शर्करा से भरपूर किस्में उगाने के लिए उत्साहित नहीं करेगा। इस संबंध में आपकी क्या राय है।

11. **(क) (i)** कृपया गन्ना, गुड़, खांडसारी और चीनी पर लगाए गए विभिन्न केन्द्रीय और राज्य करों/उपकर शुल्कों की दरें बताएँ।

(ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में गन्ना विकास के लिए एकत्रित की गई और व्यय की गई राशि।

(ख) क्या आपके राज्य ने अन्य राज्यों से चीनी के प्रवेश पर प्रवेश कर लगाया है ? यदि ऐसा है, तो यह कर कब लगाया गया और कर की दरें क्या हैं ? क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) में वितरण के लिए लेवी चीनी को प्रवेश कर से मुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

12.**(i)** कृपया 2002-03 से पिछले मौसमों में और 2007-08 मौसम के लिए आज की तिथि तक राज्य के महत्वपूर्ण बाजारों में चीनी, गुड़ और खांडसारी के मासांत थोक मूल्य बताएँ।

रु/क्विंटल में

क्रम सं०	मौसम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
	औसत					

(ii) कृपया किसी भी वर्ष में मूल्यों में किसी असामान्य वृद्धि/गिरावट के कारण बताएँ।

(iii) इनकी तुलना पिछले तीन मौसमों में मूल्यों के साथ कैसे की जा सकती है। कृपया मूल्यों के संचलन में देखे गए उतार चढ़ाव के कारण बताएँ।

13.(i) कृपया अपने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों (राज्य, सहकारी और निजी) में चीनी मिलों, खांडसारी और गुड़ इकाईयों द्वारा संस्थापित क्षमता और इसकी उपयोग प्रतिशतता का ब्यौरा दें।

(ii) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मिलों में मशीनरी को अद्यतन और आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

14. कृपया उप उत्पादों में मूल्य संवर्धन द्वारा चीनी के विविधीकरण के लिए हुई प्रगति का ब्यौरा दें। इस संदर्भ में कृपया निम्नलिखित के बारे में बताएँ :-

(i) एल्कोहल और एथनाल का उत्पादन करने वाली चीनी मिलों की संख्या (क्षेत्र -वार)उनका उत्पादन और प्रति लीटर वसूली, एथनाल के उत्पादन और बिक्री में चीनी मिलों के समक्ष आने वाली समस्याएँ।

(ii) ऐसी चीनी मिलों की संख्या (क्षेत्रवार) जो सह उत्पादित सुविधाएँ संस्थापित कर चुकी है/ संस्थापित करने की प्रक्रिया में है और उनकी बिजली की प्रति इकाई बिक्री से वसूली, इनकी समस्याएँ और ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदम बताएँ।

नोट:- यदि (i) और (ii) के संबंध में सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है तो कृपया इसे शीघ्र एकत्रित करने की कार्रवाई की जाए तथा आवश्यक सूचना यथा शीघ्र भेज दी जाए।

15 (क) क्या आपके राज्य में एथनाल मिलाने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसके कारण बताएं ?

(ख) कृपया एथनाल मिलाने के सुझाव के साथ साथ एथनाल मूल्य निर्धारण हेतु सही पद्धति बताएं।

16 (क) कृपया बीमार चीनी मिलों की संख्या, उनकी रूग्णता के कारण और ऐसी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए कदमों /उठाए जाने वाले कदमों के साथ साथ अन्य बातें सूचित करते हुए चीनी उद्योग की रूग्णता पर एक टिप्पणी प्रस्तुत करें।

(ख) कृपया अध्ययनों/रिपोर्टों के रूप में चीनी उद्योग की स्थिति पर कोई प्रलेखन, यदि कोई हों, उपलब्ध कराएँ जो इस संबंध में तैयार किया गया हो।

17 (i) कच्ची और परिष्कृत चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

(ii) कृपया चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने और बरकरार रखने पर अपने विचार बताएँ। चीनी के निर्यात के मार्ग में क्या बाधाएँ हैं ? इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए ?

18(i) गन्ना क्षेत्र आरक्षण/अनुवर्ती/आशोधन पर आपके विचार क्या है ?

(ii) आपके विचार में एक वर्तमान चीनी मिल और स्थापित की जाने वाले एक अन्य नई चीनी मिल के बीच कम से कम दूरी क्या होनी चाहिए, तथा इसके कारण बताएं ?

19. पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में खांडसारी और गुड़ इकाईयों की संख्या और उनकी संस्थापित क्षमता। कृपया अपने राज्य में इन इकाईयों की कार्यप्रणाली का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक लेखा प्रस्तुत करें और इसके साथ राज्य में गन्ना/चीनी अर्थव्यवस्था को उन्नत करने या इसमें बाधा डालने में इनकी भूमिका के बारे में अपने विचार बताएँ।

20. कृपया चीनी में वायदा व्यापार की क्षमता पर अपने विचार बताएँ। यह चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादकों के लिए कैसे लाभदायक रहेगा ?

21. कृपया अपने राज्य में उत्पादित शीरे के मूल्य निर्धारण और वितरण को नियंत्रित करने वाली नीतिगत व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करें।

22. कृपया 2011-12 मौसम के लिए 9.5 प्रतिशत वसूली दर से संबद्ध गन्ने के अच्छे लाभकारी मूल्य के स्तर पर अपने सुझाव दें।

23. क्या राज्य सरकार, खेती/उत्पादन लागत अनुमान तैयार करती है ? यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्ष के लिए परिभाषाओं और अभिगृहित धारणाओं सहित प्रयुक्त कार्यप्रणाली और गन्ना फसल हेतु तैयार किए गए अनुमानों का ब्यौरा उपलब्ध कराएँ।

24. (क) कृपया कृषि श्रम (रु०/मानव दिवस) के लिए सांविधिक न्यूनतम मजदूरी दरों के ब्यौरे प्रभावी तारीखों के साथ दें :-

क्रम सं०	वर्ष	रु०/श्रम दिवस	प्रभावी होने की तारीख
	2009-10		
	2010-11		
	2011-12 (संभावित)		

(ख) कृपया राज्य के विभिन्न भागों में गन्ने के लिए कृषि श्रम की प्रचालन-वार वास्तविक मजदूरी दरों (रु०/मानव दिवस) का ब्यौरा दें :-

क्र०सं०	क्षेत्र	प्रचालन	वर्ष			
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 संभावित
		जुलाई बोआई निराई कटाई गलना अन्य				

25. (क) चालू वर्ष के लिए निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएँ :

- (i) सिंचाई के लिए प्रति यूनिट बिजली सप्लाई लागत।
- (ii) सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्रति यूनिट बिजली प्रभार की दरें।
- (iii) सिंचाई उद्देश्य के लिए प्रयुक्त बिजली यूनिटों की कुल मात्रा।
- (iv) उपलब्ध कराई गई बजटीय सब्सिडी की राशि।

(ख) कृपया, जुलाई, 2002 के बाद से कृषि/सिंचाई उद्देश्यों के लिए मोटर/कनेक्शन में उपयोग के लिए बिजली दरों/प्रभारों (प्रति यूनिट/हार्स पावर) में किये गये संशोधन, यदि कोई हों, का उल्लेख करें (प्रभावी होने की तारीख सहित)।

क्र.सं.	विवरण	पूर्व-संशोधित दरें	संशोधित दरें	संशोधन की तारीख
1.	2.	3.	4.	5.

(ग) आपके राज्य में नहर सिंचाई दरों में नवीनतम संशोधन कब किये गये ? कृपया निम्नलिखित प्रफार्मे में ब्यौरा दें :

क्र.सं.	विवरण	पूर्व-संशोधित दरें	संशोधित दरें	संशोधन की तारीख
1.	2.	3.	4.	5.

(घ) राज्य में सिंचाई के प्रमुख स्रोत और गन्ने की फसल के लिए कुल सिंचाई में उत्थित और प्रवाह सिंचाई का सापेक्ष भाग क्या है ?

(ड.)(i) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने की फसल के लिए सिंचाई प्रति हैक्टेयर पर कुल खर्च बताएँ ? आपके राज्य में इस फसल के लिए डीजल की प्रति हैक्टर खपत भी बताएँ।

(ii) राज्य में गन्ने के लिए सिंचाई में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए ?

(च) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने के लिए अपेक्षित/प्रयुक्त सिंचाई संख्या तथा सिंचाई पर कुल खर्च प्रति हैक्टर बताएँ।

(छ) कृपया 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान संभावित गन्ना फसल के लिए विद्युत और डीजल तेल की प्रति हैक्टेयर खपत बतायें।

(ज) कृपया सिंचाई पर डीजल तेल और लुब्रीकैंट खर्च का अनुमानित हिस्सा कितना है ?

(झ) फार्म मशीनरी जैसे कि (क) सिंचाई के लिए प्रयुक्त टैक्टर्स/हार्वेस्टर्स तथा पम्प सैटस (ख) उसके प्रचालन के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण आदानों जैसे डीजल, लुब्रीकैंटस, मरम्मत/रखरखाव प्रभार इत्यादि के सापेक्ष भाग सहित अन्य कार्य, की -प्रचालन लागत क्या है ?

26 (क). कृपया 2008-09, 2009-10, 2010-11 के दौरान पाँच प्रमुख कीटनाशकों/कृमिनाशकों/खरपतवार नाशकों के खुदरा मूल्य रु प्रति किलोग्राम और 2011-12 के दौरान संभावित मूल्य बतायें।

(ख). कृपया 2008-09, 2009-10, 2010-11 के दौरान गन्ना फसल के लिए कीटनाशकों/कृमिनाशकों की (प्रति हैक्टेयर) खपत तथा 2011-12 के लिए संभावित खपत बताएँ।

27. आपके राज्य में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले पशुदाने और चारे के अनुमानित मूल्य बताएँ। 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (संभावित) के ब्यौरे दें।

28. कृपया पिछले तीन वर्षों में प्रयुक्त ट्रैक्टर आदि जैसी मशीनरी और बैल (प्रति जोड़ा दिवस) किराए पर लेने की दरें बताएँ।

29. कृपया 2008-09, 2009-10, 2010-11 के दौरान फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के खुदरा मूल्य और 2011-12 के लिए संभावित मूल्य बताएँ।

30.(क) कृपया 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान संभावित गन्ने की फसल के लिए पोषकों और एन पी के की प्रति हैक्टेयर खपत का उल्लेख करें।

(ख) क्या गन्ने के 2009-10 के मौसम में उर्वरक की कुल खरीद आशा के अनुरूप थी ? यदि नहीं, तो इस कमी के कारण बताएँ।

31.(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आपके राज्य में कृषि ऋण का कुल कितना वितरण हुआ (स्रोत वार) ? इन ऋणों के लिए ब्याज दर (स्रोत और उद्देश्य अनुसार क्या रही है) ?

(ख) कृपया पिछले पाँच वर्षों के दौरान एजेंसियों के द्वारा बकाया/अतिदेय कृषि ऋण के ब्यौरे दें।

(ग) क्या राज्य सरकार ने गन्ना कृषकों की ऋणग्रस्तता की सीमा का कोई मूल्यांकन किया है ? यदि हाँ, तो मुख्य परिणाम क्या निकले ?

32. क्या राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त आर्थिक सहायता के अतिरिक्त कृषि आदानों पर सब्सिडी प्रदान करती है ? यदि हाँ, तो कृपया उसका ब्यौरा दें।

33.(क) क्या राज्य में भूमि किराए पर देना प्रचलित है ? यदि हाँ, तो खेती योग्य भूमि की विभिन्न श्रेणियों के लिए किराया दरें क्या है ?

(ख) क्या राज्य में कोई अधिकतम/न्यूनतम किराया विनिर्दिष्ट है ? क्या ये फसल विशिष्ट हैं ? कृपया ब्यौरा दें।

34 *(क). नवीनतम उपलब्ध तीन वर्षों के लिए जैसा भी मामला हो उत्पादित चीनी के प्रतिशत के रूप में गन्ने से चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया में उप-उत्पादों के रूप में शीरे, खोई और प्रेश-मड का मिल-वार/क्षेत्र वार और राज्य-वार उत्पादन बताएं।

* (ख). कृपया नवीनतम उपलब्ध तीन वर्षों के लिए इन उत्पादों के विक्रय से अलग-अलग और संयुक्त (अभ्यारोपित कीमत में चीनी मिल में और अधिक मूल्य वृद्धि के लिए ऐसे उत्पादों की हस्तांतरण कीमत के लिए अविक्रय कीमत या नोशनल शामिल होती है जैसे शीरे से शराब और एथनाल का उत्पादन, जैव खाद बनाने के लिए प्रेश-मड का प्रयोग और/या मद्य-निर्माणशाला बहिष्प्राव उपचार, खोई से बिजली उत्पादन या उप-उत्पादों से मूल्य संवर्धन के माध्यम से उत्पादित कोई अन्य उत्पाद परन्तु अकेली चीनी के उत्पादन हेतु मुख्य चीनी मिल के बायलर को चलाने के लिए प्रयोग की गई खोई को शामिल नहीं किया जाएगा) मूल्य वसूली/अभ्यारोपित कीमत के स्तरों पर सूचना उपलब्ध कराएं।

35. कृपया किसानों द्वारा भुगतान किए गए विपणन प्रभारों पर गन्ना विक्रय की प्रति क्विंटल सूचना उपलब्ध कराएं।

36.(क) कृपया अपने राज्य में संचालित की जा रही फसल बीमा योजना पर गन्ना उत्पादकों द्वारा वहन किए गए प्रीमियम पर प्रति हैक्टेयर और प्रति क्विंटल खर्च बताएं।

(ख) क्या ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा अनिवार्य है ? क्या गैर-ऋणी किसान भी योजना के अंतर्गत शामिल किए गए ?

(ग) क्या फसल बीमा योजना को उन किसान तक बढ़ाया गया है जो मालिक कृषिक नहीं है परन्तु खेती प्रायोजन हेतु भूमि पट्टे पर लेते है ?

(घ) क्या किसानों को प्राकृतिक आपदाओं/पेस्ट हमलों इत्यादि के होने वाले फसल और आय दोनों नुकसानों के विरुद्ध अपनी फसलों का बीमा कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है ?

(ङ.) क्या बीमा विस्तार किसान विशिष्ट है, यदि नहीं तो प्रचलित बीमा योजना के अधीन किसानों के उत्पादन नुकसान शामिल करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(च) क्या बीमा योजना किसानों की समस्त श्रेणियों या विशिष्ट श्रेणी को शामिल करती है, कृपया ब्यौरा दें ?

(छ) राज्य में किसानों के मध्य में फसल बीमा के फेलाव का स्तर बताएं।

(ज) फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में, मुद्दे बताएं, यदि कोई हों।

* गन्ने के लिए अच्छे और लाभकारी मूल्य पर पहुँचने के लिए सूचना निर्णायक है। इसलिए, अपेक्षित ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं।

(झ) कृपया गन्ना उत्पादकों के लिए और अधिक किसान हितैषी बनाने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन ए आई एस) को सुधारने के लिए अपनी टिप्पणियां/सुझाव बताएं। गन्ने के संबंध में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन पर टिप्पणियां भी बताएं।

() क्या बीमा कवर केवल अनुबंधित गन्ने (यदि बीमा योजना प्रीमियम चीनी मिल द्वारा भुगतान किया जा रहा है/किया जाना है) या अनुबंधित गन्ने तक भी सीमित है/सीमित होना चाहिए।

37 (क). मिल **द्वारों/खरीद** केन्द्रों तक गन्ने के परिवहन के तरीके क्या है ? इन तरीकों द्वारा वाहित गन्ने का आनुपातिक भाग तथा विभिन्न तरीकों से प्रति क्विंटल परिवहन लागत बतायें।

(ख) क्या मिलें गन्ने को मिल द्वार तक स्वयं ले जाती है या गन्ना उत्पादक मिलों को गन्ना देते हैं ? यदि दोनों तरीके अपनाए जाते हैं, तो मिल द्वार पर और कय केन्द्र पर किसान द्वारा दिए गए गन्ने का संबंधित हिस्सा बताएँ।

(ग) जहाँ पर गन्ना, खरीद केन्द्र पर दिया जाता है वहाँ औसत दूरी, प्रति क्विंटल परिवहन लागत और क्षेत्र से खरीद केन्द्र तक तथा खरीद केन्द्र से मिल द्वार तक वाहित गन्ने की मात्रा बताएँ।

(घ) विभिन्न तरीकों से मिल **द्वार/खरीद** केन्द्र तक सुपुर्दगी की कितनी प्रति क्विंटल औसत परिवहन लागत को ध्यान में रखा जाता है।

(ङ0) खरीद केन्द्रों पर मिलों द्वारा सुपुर्दगी लिये जाने पर चीनी मिलों द्वारा परिवहन के कारण कितनी राशि की कटौती की जाती है, और

(च) गन्ने की कटाई पर लगभग कितनी प्रति क्विंटल लागत आती है। क्या आपके राज्य में क्षेत्र से गन्ने की कटाई किसानों द्वारा स्वयं की जाती है या चीनी मिलों द्वारा की जाती है ? यदि चीनी मिलें फसल कटाई करती है तो इसकी लागत का भार चीनी मिले वहन करती है या गन्ना किसान वहन करता है ? यदि किसान यह लागत वहन करता है तो 2007-08, 2008-09 और 2009-10 चीनी मौसम में उसके गन्ना मूल्य से कितनी राशि (रु0 प्रति क्विंटल) काटी गई।

(छ) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3 ए के अंतर्गत 2008-09 और 2009-10 चीनी मौसम में चीनी मिलों को क्या अलग रियायत दी गई ? कृपया 2008-09 और 2009-10 चीनी मौसम में सांविधिक न्यूनतम मूल्य से काटी गई राशि रियायत वार का ब्यौरा दें।

(ज) 2010-11 चीनी मौसम के लिए अच्छे लाभकारी मूल्य की सिफारिश के संदर्भ में कोई अन्य सम्बद्ध सूचना।

(झ) क्या आपके राज्य में इसकी मांग से संबंधित गन्ना आपूर्ति बाधाएं रही हैं ? यदि ऐसा है, तो कृपया 2009-10, 2010-11 और 2011-12 वर्षों के लिए मात्रा के विषम में अनुमानित अन्तर को, एक औसत से दशाएँ।

कृषि लागत और मूल्य आयोग

2011-12 मौसम के दौरान विक्रय किए जाने वाले गन्ने हेतु अपनी मूल्य नीति रिपोर्ट के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना के लिए प्रश्नावली।

1. पिछले पाँच वर्षों के दौरान निजी, सरकार और सहकारी क्षेत्र में कार्य कर रही और बन्द पड़ी हुई चीनी मिलों की संख्या (राज्य-वार)।
2. पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य-वार वार्षिक संस्थापित उत्पादन क्षमता, चीनी उद्योग की क्षमता उपयोग और पेराई किया गया गन्ना। क्या पैमाना किफायत हासिल करने के लिए संस्थापित क्षमता बढ़ाने और इसके उपयोग में कोई सुधार है ?
3. 2009-10 तक पाँच वर्षों के दौरान चीनी के राज्य-वार/क्षेत्र-वार उत्पादन के अनुमान और 2010-11 के लिए संभावित अनुमान।
4. विस्तृत मद-वार ब्यौरे सहित पिछले पाँच वर्षों के दौरान चीनी का तुलन पत्र और 2010-11 के लिए अनुमान (निर्यातों सहित आपूर्ति और खपत शामिल करते हुए)
5. चीनी का माह-वार उत्पादन अखिल भारत के लिए विगत तीन वर्षों हेतु और 2011-12 के लिए अनुमान।
6. पिछले तीन वर्षों के लिए चीनी की माह-वार नियुक्तियां (लेवी और मुक्त विक्रय)
7. पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य-वार और जोन-वार गन्ने से चीनी की सम्पूर्ण मौसम और शीर्ष मौसम औसत वसूली। सम्पूर्ण मौसम वसूली और शीर्ष मौसम वसूली के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए अखिल भारत भारित औसत वसूली।
8. पिछले पाँच वर्षों एवं वर्तमान वर्ष हेतु चीनी मिलों द्वारा प्रति क्विंटल चीनी की राज्य-वार और अखिल भारत भारित औसत कुल उत्पादन लागत बताएं।
9. पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चीनी उत्पादन की प्रति इकाई (क्विंटल) लागत और खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान किए गए औसत मूल्य भी अलग अलग बताएं। लेवी चीनी, मुक्त विक्रय चीनी और संयुक्त से राज्य वार और अखिल भारत भारित औसत वसूली।

10. विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए उप-उत्पादों (शीरा, खोई, प्रेस-मड इत्यादि) के विक्रय या उनकी अभ्यारोपित कीमत से चीनी मिलों द्वारा की गई राज्य-वार, श्रेणी वार और अखिल भारत औसत वसूलियां।
11. पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाह्य मिल लेवी चीनी मूल्य कहाँ तक पहुँचे के ब्यौरे दें।
12. बाह्य मिल लेवी मूल्यों के आधार पर, कृपया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य किस स्थिति में पहुँचे का ब्यौरा ? चीनी के सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य पहले कब संशोधित किए गए थे ?
13. कृपया चीनी मौसम 2008-09 और 2009-10 के लिए जोन वार और अखिल भारत औसत वसूल प्रतिशतता, औसत वसूली प्रतिशतता पर सांविधिक न्यूनतम मूल्य/एफ आर पी, परिवर्तन लागत, लेवी मूल्य और लेवी मूल्य में प्राप्ति घटक दर्शाएं।
14. प्रति शीर्ष वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली चीनी आबंटन और इसे निर्धारित करने के लिए सिद्धांत।
15. कुल मूल्य देय, कुल मूल्य प्रदत्त, बकाया और पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए मूल्य देय के बकायों की प्रतिशतता दर्शाते हुए 31 मई की स्थिति अनुसार राज्य-वार और क्षेत्र-वार गन्ना मूल्य बकाया।
16. पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष हेतु, सम्पूर्ण वर्ष के लिए माह-वार/भारत औसत चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य।
17. पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए चीनी के राज्य-वार और अखिल भारत मूल्य।
18. पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए राज्य-वार सांविधिक न्यूनतम मूल्य/एफ आर पी (वसूली-सम्बद्ध), राज्य अनुशंसित मूल्य और चीनी मिलों द्वारा प्रदत्त अंतिम मूल्य।
19. पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए चीनी का देश-वार निर्यात और आयात (मात्रा और कीमत) और शीरा (मात्रा एवं कीमत) बताएं।
20. कृपया चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर एक टिप्पणी संभव हल सहित।
21. कच्ची चीनी के आयात/निर्यात सहित वर्तमान आयात और निर्यात नीति पर टिप्पणी।
22. चीनी का प्रस्तावित विनियंत्रण तथा चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादकों पर इसके प्रभाव।

23. गन्ने से एथनाल उत्पादन में की गई प्रगति पर एक टिप्पणी, इसके मूल्यों का मुद्दा और खोई से बिजली का सह-उत्पादन, संभव हल सहित सामना की जा रही समस्याएँ।
24. किसानों द्वारा भुगतान किए गए गन्ना विक्रय पर प्रति क्विंटल राज्य-वार और अखिल भारत औसत विपणन प्रभार बताएं।
25. (i) गन्ना उत्पादकों द्वारा फसल बीमा योजना वहन किए गए/प्रति हैक्टेयर और प्रति क्विंटल बीमा प्रीमियम पर राज्य-वार और अखिल भारत औसत खर्च बताएं।
- (ii) फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए गन्ना उत्पादकों की राज्य वार और अखिल भारत स्तर प्रतिशतता। क्या किसानों को प्राकृतिक आपदाओं/पेस्ट हमलों इत्यादि के कारण होने वाले दोनों फसल और आय नुकसानों के विरुद्ध अपनी फसल का बीमा कराने में कोई समस्याएं हुई ?
- (iii) कृपया गन्ना उत्पादकों के लिए और अधिक किसान हितैषी बनाने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन ए आई एस) को सुधारने के लिए अपनी टिप्पणियां/सुझाव बताएं। गन्ने के संबंध में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन पर टिप्पणियां भी बताएं।
- (iv) क्या बीमा कवर केवल अनुबंधित गन्ने (यदि बीमा योजना प्रीमियम चीनी मिल द्वारा भुगतान किया जा रहा है/किया जाना है) या अनुबंधित गन्ने तक भी सीमित है/सीमित होना चाहिए।
26. (i) मिल द्वार/खरीद केन्द्र पर गन्ने की सुपुर्दगी के लिए ध्यान में रखी जाने वाली राज्यवार/अखिल भारत प्रति क्विंटल औसत परिवहन लागत अलग अलग।
- (ii) खरीद केन्द्रों पर मिलों द्वारा सुपुर्दगी लिये जाने पर चीनी मिलों द्वारा गन्ने के परिवहन के कारण कटौती की जाने वाली राज्य-वार और अखिल भारत औसत राशि।
- (iii) गन्ने की कटाई पर राज्य-वार और अखिल भारत औसत लागत लगभग प्रति क्विंटल क्या है। क्या आपके राज्य में क्षेत्र से गन्ने की कटाई किसानों द्वारा स्वयं की जाती है या चीनी मिलों द्वारा की जाती है ? यदि चीनी मिलें फसल कटाई करती है तो इसकी लागत का भार चीनी मिले वहन करती है या गन्ना किसान वहन करता है ? यदि किसान यह लागत वहन करता है तो 2007-08, 2008-09 और 2009-10 चीनी मौसम में उसके गन्ना मूल्य से कितनी राशि (रु0 प्रति क्विंटल) काटी गई।
27. पिछले दो वर्षों के दौरान नीति मुद्दों से संबंधित अधिसूचनाओं/परिपत्रों की प्रत्येक की एक प्रति।
28. अन्य कोई सूचना, जिसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग आयोग के ध्यान में लाना चाहेगा।
29. क्या आपके राज्य में इसकी मांग से संबंधित गन्ना आपूर्ति बाधाएं रही हैं ? यदि ऐसा है, तो कृपया 2009-10, 2010-11 और 2011-12 वर्षों के लिए मात्रा के विषम में अनुमानित अन्तर को, एक औसत से दशाएँ।

